

शिप्रा एन्क्लेव, सेक्टर -8 रामगंगानगर बरेली

क्र.स.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है० में)
1	116	1.3140
2	117	0.4770
3	121	0.8410
4	122	0.2340
5	124	0.2830
6	125	0.0370
7	126	0.0990
8	127 पार्ट	0.0500
9	128	0.6480
10	129	0.3670
11	130	0.4474
12	131	0.0730
13	132	0.8810
14	133	1.3320
15	134	0.1900
16	135	1.4750
17	136 पार्ट	0.2800
18	140	0.1140
19	146	0.0198
20	147 पार्ट	0.1900
21	151	0.2530
22	152	0.3290
23	153	0.1650
24	154	0.0310
25	156	0.2280
26	157	0.2450
27	158	0.1680
28	159	0.1680
29	160	0.45825
30	161	0.5100
31	162	1.0960
32	163	1.4110

क्र.स.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है० में)
33	164	0.6570
34	165	0.5680
35	166	0.1340
36	167	0.0460
37	168 पार्ट	0.1640
38	170	0.0070
39	171	0.8460
40	172	0.4640
41	174	0.0750
42	175	0.2450
43	213	0.1770
44	214	0.3410
45	215	0.0250
46	216	0.8740
47	217	0.1670
48	218 पार्ट	0.32122
49	219	0.0350
50	227	0.1900
51	234 पार्ट	0.3750
52	244	0.2670
53	246	0.1430
54	248 पार्ट	0.8870
55	250	0.0330
56	351	0.1860
57	48	0.2530
58	49	1.1190
59	61	0.3550
60	62	0.1200
61	63	0.2000
62	64	1.3560
63	65	0.0420
64	66	0.1580
योग		25.24867

क्षेत्रफल- २,५२,४८६.७० वर्ग मी०

घोषित अभिनिर्णय आदेश

1-	वाद संख्या -	आठ-14; सन, 2004
2-	जिला/तहसील/परगना-	बरेली/बरेली/बरेली
3-	ग्राम का नाम	बरेली
4-	अर्जन निकाय का नाम-	उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली
5-	अर्जन का प्रयोजन	रामगंगा नगर आवासीय योजना फ़ैस-2 के निर्माण हेतु ।
6-	क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है-	हां
7-	क्या प्रस्ताव में धारा-17 के प्रावधान लागू है-	हां
8-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक -	संख्या 608/9-आठ-3-2004-49एल.ए.2003 लखनऊ दिनांक 03.06.2004
9-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक-	दिनांक 03-06-2004
10-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक	1- दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004 2- अमर उजाला दिनांक 07.07.2004
11-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के शुद्धि पत्र के गजट का दिनांक	23.12.2004
12-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के शुद्धि पत्र के गजट का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक	1-दैनिक जागरण दिनांक 20.01.2005 2-अमर उजाला दिनांक 20.01.2005
13-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के नोटिस का दिनांक	22.02.2005
14-	धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक	2168/8-3-2005-49 एल.ए. 2003 लखनऊ दिनांक 04.07.2005
15-	धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक	दिनांक 04.07.2005
16-	धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति का दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक	1.अमर उजाला दिनांक 22.08.2005 2.रोटीराम दिनांक 22.08.2005
17	धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति की सर्वसाधारण सूचना/मुनादी का दिनांक	13/14-09-2005
18	कब्जे का दिनांक-	01-09-2005
19	अभिनिर्णय का दिनांक	13-07-2005
20	अनुमानित प्रतिकर	बजट में प्रावधानिक है
21	कुल अर्जित क्षेत्रफल	87-542 हेक्टर
22	करार के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णयों का क्षेत्रफल	29.8565 हेक्टर ✓
23	माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित क्षेत्रफल	31.59623 हेक्टर
24	अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	26.56265 हेक्टर ✓
25	अनुमानित प्रतिकर	बजार दर पर
26.	निर्धारित प्रतिकर	बजार दर पर
क	भूमि का मूल्य	7,38,01,326.98
ख	सम्पत्ति का मूल्य	26,56,265.24



1

	योग-	7,64,57,592.22
ग	100 प्रतिशत सोलेशियम	7,64,57,592.22
घ	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा 4 के दिनांक से कब्जे के दिनांक तक	74,98,436.70
	योग-	16,04,13,621.14
24	भूमि अर्जन व्यय	नियमानुसार देय होगा।
25	पूजीकृत मूल्य	नियमानुसार देय होगा।

जनपद बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना के निर्माण हेतु ग्राम-चन्द्रपुर विचपुरी का क्षेत्रफल 130-017597 हेक्टर, ग्राम डोहरिया का क्षेत्रफल 87-542 हेक्टर ग्राम- मोहनपुर उर्फ रामनगर का क्षेत्रफल 30-184 हेक्टर तथा ग्राम- अहरोला का क्षेत्रफल 11-618 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच भूमि अर्जन अमीन से करायी गयी। जांचोपरान्त प्रस्ताव सही पाये जाने पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति जारी/ प्रकाशित कराने हेतु निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा अधिसूचना संख्या- 608/9-आ0-3-2004-49 एल.ए.2003 लखनऊ दिनांक 03.06.2004 को जारी की गयी जिसका प्रकाशन असाधारण गजट में दिनांक 3.06.2004 को हुआ। उपरान्त नियमानुसार दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004, अमर उजाला में दिनांक 07.07.2004, को प्रकाशित करायी गयी। विज्ञप्ति के प्रकाशित उपरान्त अधिग्रहण की सूचना प्रभावित कृषकों को सार्वजनिक सूचना / मुनादी दिनांक 22.02.2005 के माध्यम से कराये गयी। विज्ञप्ति धारा-4(1)/17 की समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की विज्ञप्ति धारा- 6(1)/17 जारी/ प्रकाशित कराने हेतु प्रस्ताव पुनः निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया। जिस पर शासन द्वारा विज्ञप्ति धारा- 6(1)/17 की अधिसूचना संख्या- 2168/8-3-2005-49 एल.ए.0 2003 लखनऊ दिनांक 04.07.2005 जिसका असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 04.07.2005 को हुआ, तथा नियमानुसार दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन क्रमशः दैनिक अमर उजाला में दिनांक 22.08.2005, दैनिक रोटी राम में दिनांक 22.08.2005 को कराया गया, तथा जिसकी सार्वजनिक सूचना/मुनादी दिनांक 13/14-09-2005 को विधिवत करायी गयी। विज्ञप्ति धारा-6(1)/17 की समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त भूमि अध्याप्ति अधिनियम 9(1)(2)(3) के सामान्य विशेष नोटिस प्रभावित भूस्वामियों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जारी किये गये। नियत दिनांक पर कुल 113 भूस्वामियों ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की गयी। जिनका विवरण एवं निस्तारण निम्नवत है:-

रामगंगानगर आवासीय योजना के निर्माण हेतु ग्राम-डोहरिया में श्री पियूष अग्रवाल ने अपने अधिग्रहीत खसरा संख्याओं के सम्बन्ध में आपत्तियां अन्तर्गत धारा-5ए दिनांक 05.08.04 व सुमित अग्रवाल आदि की ओर से दिनांक 05.08.04 एवं हरिओम आदि की ओर से दिनांक 05.08.04 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-6(1)/17 समाप्त किये जाने योग्य है। पत्रावली के परीक्षण से स्पष्ट है कि भूमि का अधिग्रहण भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17 के प्रावधान लागू करते हुये किया गया है। जिसके कारण धारा-5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं। इस कारण से श्री अवश्वनी कुमार राना एडवोकेट द्वारा उक्त व्यक्तियों के लिये दिनांक 05.08.04 को दिया गया धारा-5ए के प्रार्थना पत्र भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17 के अनुरूप न होने के कारण निरस्त करते हुये सामिल मिसल किया जाता है।

श्री रामनारायण द्वारा खसरा संख्या-50,81,253,255,256,259,261,262, व 263, श्री बृज भूषण द्वारा खसरा संख्या-155,169,218, श्री नत्थूलाल आदि द्वारा खसरा संख्या- 216,171, श्रीमती कान्ती देवी द्वारा खसरा संख्या-108, श्री अनोखेलाल द्वारा खसरा संख्या-180,367, श्री टिन्कू नावा0 द्वारा खसरा संख्या-383,384,347,346,379,380,

348,230, श्री महेंद्र सिंह द्वारा खसरा संख्या-133,105, श्री बाबू द्वारा खसरा संख्या-240,395, श्री विकास जायसवाल द्वारा खसरा संख्या-390, श्री करीमवखा आदि द्वारा खसरा संख्या-396,397, श्री भूपराम आदि द्वारा खसरा संख्या-401, श्री ऐवरन सिंह आदि द्वारा खसरा संख्या-144,150क, 147, श्रीमती माया देवी द्वारा खसरा संख्या-144,130, श्री भूप सिंह द्वारा खसरा संख्या-116,138,139, श्री नरेश सिंह द्वारा खसरा संख्या-146, श्री घीर सिंह आदि द्वारा खसरा संख्या-350,356,353,375, श्री रामस्वरूप सिंह द्वारा खसरा संख्या-260, श्री हीरालाल द्वारा खसरा संख्या-25,36, श्री सुरेन्द्र पाल दत्तक पुत्र प्यारेलाल द्वारा खसरा संख्या-140, श्रीमती मालती देवी द्वारा खसरा संख्या-230,283मि, 346,347,348,352, श्री रामलाल द्वारा खसरा संख्या-346,347,348, 352, 376,230, श्री चन्द्रपाल द्वारा खसरा संख्या-379,380,343, श्रीमती नत्थो देवी द्वारा खसरा संख्या-187,190,201,208,209, श्रीमती लीलावती द्वारा खसरा संख्या-344,349, श्री बृजमोहन लाल द्वारा खसरा संख्या-217,225,226,342,379,380,347,348,352, श्री राजाराम द्वारा खसरा संख्या-230,347,348,352,284मि,346, श्री जमुना प्रसाद आदि द्वारा खसरा संख्या-03,248, श्री सुखपाल द्वारा खसरा संख्या-100, श्री श्यामाचरन द्वारा खसरा संख्या-74, श्री प्रताप सिंह आदि द्वारा खसरा संख्या-214,155,169,218, श्री भूपराम आदि द्वारा खसरा संख्या-214, श्री जगदीश सरन द्वारा खसरा संख्या-214, श्री भूपराम आदि द्वारा खसरा संख्या-234,242,341, श्री खेमकरन द्वारा खसरा संख्या-343, श्री सुखपाल सिंह द्वारा खसरा संख्या-143, श्री रामचन्द्र द्वारा खसरा संख्या-98,207, श्री रामबाबू द्वारा खसरा संख्या-135,116,138,139 पर आपत्तियां दिनांक 03.10.2005 को प्रस्तुत की। जिसमें श्री उक्त आपत्तियों की भांति समान तथ्यों का उल्लेख करते हुये 5 से 6 लाख रुपये प्रति बीघा खाम एवं कुछ विक्रयपत्र 500 से 1000 रुपये प्रति वर्ग गज के बताते हुये जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के लिये निर्धारित सर्किल रेट 20 से 25 लाख रुपये बताकर प्रतिकर की मांग करते हुये यह अनुरोध किया गया है कि उनकी अधिग्रहीत की गयी भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के प्रतिकर के साथ भूमि अध्यापि अधिनियम की धारा-23(1) के अन्तर्गत 6लाख रुपये प्रति बीघा खाम कच्चा निर्धारित करते हुये धारा-23(1-ए) 23(2) व धारा-34 में निर्धारित व्याज का लाभ चाहा है। प्रार्थना पत्र पर मांगी गयी भूमि की कीमत के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न दिया जाना उनकी मांग को सही नहीं ठहराता। इस कारण से आपत्ति कर्ताओं द्वारा चाहा गया 6 लाख रुपये प्रति बीघा खाम की दर स्वीकार नहीं की जा सकती है। शेष लाभ निर्धारित नियमों के अन्तर्गत दिये जाने के निर्णय के साथ प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये शामिल मिसल किया जाता है।

सर्व श्री मोहनलाल, मिश्रीलाल, नत्थूलाल, ठाकुरदास, ओमप्रकाश, डालचन्द, भूपराम, मुशीलाल, हेमराज, सुखी, गंगाराम, इनकारीलाल, श्रीमती मीनादेवी, कालीचरन, संतोष कुमार, रामवहादुर वर्मा, झम्मन, चन्द्रसेन, श्रीमती सुषमा देवी, किशनलाल, जोगराज, मोहनस्वरूप, सत्यपाल, प्रेमशंकर, भूपराम, लालताप्रसाद, रामस्वरूप, डालचन्द्र, जीवनलाल सूर्य प्रकाश नन्हेलाल बनवारीलाल, रामौतार, मोहनलाल, सुखपाल, छोटेशाह, रमेशचन्द्र सोहन लाल रमेश चन्द्र, रूपलाल, छोटेलाल, पूरनलाल, लालताप्रसाद, ये खसरा संख्या क्रमश 126, 129, 151, 127, 129, 720, 705, 193, 361, 339, 64, 92, 223, 257, 366, 96, 355, 14, 10, 67, 146, 141 144, 150क, 184, 185, 347, 348, 346, 352, 383, 390, 121, 142, 62, 102, 376, 230, 112, 115, 149, 353, 375, 350, 356, 115, 49, 112, 174, 194, 87, 158, 238, 172, 241, 322, 346, 402, 233, 235, 37, 26, 42, 250, 117, 151, 250, 39, 40, 168, 173, 122, 184, 185, 38, 61, 229ख, 230, 347, 348, 352, 356, 163, 166, 15, 16, 385, 144, 150क, 11, 775, 50, 149, को अर्जन से प्रभावित बताते हुये अपनी अधिग्रहीत भूमि की दर 5 लाख, 6लाख व 8 लाख रुपये प्रति बीघा खाम कच्चा निर्धारित करने एवं आपत्ति कर्ताओं की भूमि पर स्थित सम्पत्ति का प्रतिकर दिलाये जाने तथा भूमि अध्यापि अधिनियम की धारा-23(1-ए) 23(2) व धारा-28 व धारा-34 के लाभ की मांग समान रूप से तथ्य दर्शाते हुये आपत्ति प्रस्तुत की। अन्य आपत्ति कर्ताओं के समान आपत्ति कर्ताओं द्वारा बतायी गयी दरों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण आपत्ति कर्ताओं द्वारा मांगी गयी दर को स्वीकार न करते हुये आपत्ति कर्ताओं की आपत्ति पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने एवं भूमि अध्यापि अधिनियम की अन्य धाराओं का लाभ प्रदान करने का निर्णय लेते हुये आपत्ति निरस्त करते हुये शामिल मिसल की जाती है।



उक्त के अतिरिक्त दिनांक 03.10.2005 को श्री अश्वनी कुमार राना एडवोकेट द्वारा श्री मती लज्जा देवी पत्नी राधेश्याम के खसरा संख्या-394, श्री हरीओम अग्रवाल के खसरा संख्या-35, 393, 107, 174, 378, 373, 374/1/2, 160, 224, 376, में अपना भाग गाटा संख्या-363, 365, 393, श्री महेश कुमार आदि के खसरा संख्या-387, 396 श्री पी० के० अग्रवाल के खसरा संख्या-207, 174, 364, 373, 374, 378 का 1/2 भाग, खसरा संख्या-106, 160, 224, 376 का अपना भाग 363, 365, 370, 372, 358, कुमारी शोभना सिंह व डा० शमिष्ठा सिंह के खसरा संख्या-364 के लिये समान आपत्तियों का उल्लेख करते हुये 6 लाख रुपये प्रति बीघा खाम की दर से प्रतिकर दिये जाने की मांग की है। अधिग्रहीत भूमि पर सम्पत्तियों का मूल्य भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धाराओं के साथ दिये जाने की मांग की गयी है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कु० शोभना व श्री पियूष अग्रवाल की अधिग्रहीत की गयी भूमि की दर 1400 रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से दिये जाने की मांग की गयी है। इनके द्वारा मांग की गयी दरों के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण इनकी आपत्ति को साक्ष्य के अभाव में अर्जित भूमि की बतायी गयी मांग को निरस्त करते हुये भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा धारा-34 के लाभ दिये जाने का निर्णय लेते हुये आपत्ति कर्ताओं की आपत्ति पत्रावलित की गयी है।

श्रीमती सुशीला देवी द्वारा 5 लाख रुपये प्रति बीघा खाम, श्री महेश द्वारा सर्किल रेट का 145 प्रतिशत मुआवजा दिये जाने, बाबूराम द्वारा अपनी भूमि को काफी उपजाऊ बताते हुये, श्री हरीश पटेल द्वारा 1500 रु० प्रति वर्गमीटर दिये जाने, श्री छद्दमी लाल द्वारा 3000 रु० प्रति वर्गमीटर की दर से प्रतिकर निर्धारित किये जाने की मांग की है। जो साक्ष्य के अभाव में निरस्त करते हुये शामिल मिसल किये गये। श्री सोमप्रकाश ने खसरा संख्या-111 क्षेत्रफल 0.405 हेक्टर में अपना भाग, श्री ताराचन्द ने अपने खसरा संख्या के क्षेत्रफल 0.308 हेक्टर, भजनलाल ने अपने खसरा संख्या-196, पुरनलाल ने अपने खसरा संख्या-1834 के लिये धारा-9 की आपत्ति प्रस्तुत करते हुये 6 लाख से 8 लाख रुपये कच्चा बीघा के प्रतिकर की मांग की है। परन्तु इनके द्वारा भी कोई साक्ष्य उपलब्ध न कराये जाने के कारण इनकी आपत्ति निरस्त करते हुये पत्रावलित की जाती है।

ग्राम डोहरिया के खसरा संख्या-418, 419, 420, 423, जो अर्जन से प्रभावित है, पर श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि की दर 2000 रु० प्रति वर्ग मीटर दिलाये जाने की मांग व धारा-23, 34 के अन्तर्गत देय लाभो को भी चाहा गया। श्री जितेन्द्र कुमार अपनी मांग की समर्थन में फेहरिस्त दस्तावेज 7 किता पेश किये। जिनमें वैनामा की प्रतियां, कलेक्टर द्वार निर्धारित सर्किल रेट की सूची प्रस्तुत करते हुये दिनांक 03.10.05 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी। इस सम्बन्ध में आपत्ति कर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये विक्रयपत्र अनुसूची-1 में दर्ज करने के निर्देश के साथ यह निर्णय लिया गया कि यह अभिनिर्णय करार नियमावली के अन्तर्गत है इस कारण उनकी आपत्ति पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-23 में दर निर्धारण पर स्थलीय स्थिति के अनुसार अन्तिम निस्तारण किया जायेगा। श्री सुरेश चन्द्र अवस्थी ने खसरा संख्या-214, 358, को अधिग्रहण से प्रभावित बताते हुये प्रतिकर की मांग की है कि अपने हिस्से के अनुसार जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्रफल में वृक्ष आदि आदि दर्शा कर प्रतिकर आदि की मांग की है, श्री रामवहादुर शर्मा ने गाटा संख्या-214 में अपना 1/6 भाग बताकर प्रतिकर की मांग की। श्रीमती कलावती ने अपने गाटा संख्या-146 की भूमि को कय कर अपने स्वामित्व प्रदर्शित कर विक्रयपत्र के साथ प्रस्तुत की। श्री हरीश कुमार ने गाटा संख्या-367, कय किये जाने का उल्लेख करते हुये आपत्ति प्रस्तुत की। श्री जगदीश सरन ने गाटा संख्या-114 बजरियो विक्रयपत्र के माध्यम से अपने स्वामित्व के प्रतिकर की मांग की। श्री नत्थूलाल ने गाटा संख्या-4 व 73 के लिये श्री सिपटटर सिंह ने गाटा संख्या-173 में 280 मीटर भूमि कय किये जाने का उल्लेख करते हुये प्रतिकर की मांग की। इन सभी आपत्तियों में विक्रयपत्र के आधार पर भूमि के प्रतिकर दिये जाने का निर्णय विक्रयपत्रों की पुष्टि के उपरान्त किये जाने का निर्णय लिया गया। आपत्ति शामिल मिसल की गयी। श्री उमेश आदि ने गाटा संख्या-177 श्री महेंद्र सिंह के मृतक हो जाने के उपरान्त उनके वारिसानो ने आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें उनके द्वारा कोई वारिसान प्रमाण पत्र खतौनी की नकल की प्रस्तुत नहीं की गयी। नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। खसरा संख्या-107, 174, 378, 452, 363, 374, 38, 364, 376, 364, 365, 370, 372, 106, 160, 224, के लिये श्री अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार



1

राना के माध्यम से सुमित अग्रवाल आदि ने खसरा संख्या-381 श्री हरीओम अग्रवाल एडवोकेट ने 385, 393, 452 के अपने अधिवक्ता के माध्यम से श्री महेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ने खसरा संख्या-386, 387 के लिये श्री अश्वनी कुमार राना एडवोकेट के माध्यम से अपनी आपत्ति धारा-5ए भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894, (संशोधित अधिनियम 1984) के अन्तर्गत प्रस्तुत की। इस सम्बन्ध में आपत्तियों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त ज्ञात हुआ कि रामगंगा नगर आवासीय योजना फेस-2 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत किया गया है। इस क्रम में विज्ञप्ति धारा-4(1)/17 व 6(1)/17 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है। जिनमें धारा-5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होते है। इस कारण आपत्तियां विधि अनुकूल न होने के कारण निरस्त करते हुये पत्रावलित की जाती है।

धारा-9 की सुनवाई के उपरान्त अधिग्रहण की धारा-17 के अनुसार विभाग को कब्जा हस्तान्तरित कराये जाने हेतु समस्त भू-स्वामियों को भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 17 (3) (3-अ) के अन्तर्गत 80 प्रतिशत अग्रिम टेण्डर भुगतान प्राप्त करने एवं भूमि पर से कब्जा छोड़े जाने हेतु नोटिस निर्गत किये गये। नियत दिनांक पर भू-स्वामियों ने अपना 80 प्रतिशत टेण्डर भुगतान प्राप्त कर लिया। जो भूस्वामी भुगतान प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुये उनके देयको पर नियमानुसार राजस्व जमा लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराते हुये बरेली विकास प्राधिकरण बरेली को अर्जित भूमि पर कब्जा हस्तान्तरण किया गया। उक्त कार्यवाही के साथ-साथ प्रभावित भूस्वामियों को उनकी अधिग्रहीत की गयी भूमि जिसपर कब्जा प्राप्त कर लिया गया था पर भू-स्वामियों का नाम खारिज करते हुये बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया।

अर्जन से प्रभावित भूमि का अन्तिम निर्णय (प्रतिकर निर्धारण) लेने से पूर्व शासन नीति अनुसार भू-स्वामियों से उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली 1997 एवं शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जिला स्तरीय दर निर्धारण कमेंटी द्वारा निर्धारित दर अंकन- 163.48 पैसे प्रति वर्गमीटर सड़क के किनारे तथा 144.65 पैसे प्रति वर्गमीटर सड़क से दूर स्थित भूमि की दर निर्धारित की गयी। जिसका आयुक्त महोदय बरेली मण्डल बरेली द्वारा अनुमोदन दिया गया। तदोपरान्त बरेली विकास प्राधिकरण बरेली एवं अर्जन से प्रभावित कुल 29.8565 हेक्टर के कृषको द्वारा करार निष्पादित किये गये। जिनका करार नियमावली के अन्तर्गत अभिनिर्णय घोषित कर प्रतिकर वितरण किया जा चुका है।

इसी मध्य भारत सरकार द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) निरसित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा नया अधिनियम 2013 लागू किया गया। जो उत्तर प्रदेश सरकार में दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी किया गया है। नये अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-13 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-45/एक-13-2014-7क(4)14 टीसी दिनांक 14. मार्च 2014 दिनांक के अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-24(1)(क) के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुये शासनादेश के विन्दु संख्या-2 के उल्लिखित किया गया है कि भू-अर्जन के ऐसे प्रकरण जिनमें भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की (धारा-26 से 30सपठित प्रथम अनुसूची) के प्रावधानों से किया जायेगा और ऐसे मामलो में प्रदेश में पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन शासनादेश दिनांक 17.08.2010, 03.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा लाम दिये जायेगें तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-539/8-3-14-31 विविध/14 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 24. मार्च, 2014 के अन्तर्गत पृष्ठ संख्या-2 के प्रस्तर-ए के विन्दु क एवं ख में उल्लिखित किया गया है कि जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं किया गया है वहा इस अधिनियम के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से सम्बन्धित सभी उपबन्ध लागू होंगे।

नये अधिनियम 2013 के अनुपालन कुल अर्जित भूमि 87.542 में से 29.8565 हेक्टर भूमि के करार निष्पादित होने के बाद 57.6855 हेक्टर भूमि अभिनिर्णय हेतु अवशेष बचती है। जिसमें से 31.59623 हेक्टर भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय



इलाहाबाद से स्थानादेश होने के कारण अभिनिर्णय से विरत की जाती है अभिनिर्णय हेतु अवशेष क्षेत्रफल 26.089270 हेक्टर भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया जायेगा। ग्राम-डोहरिया की अभिनिर्णय हेतु 26.089271 हेक्टर भूमि की दरो के निर्धारण हेतु नये अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत ग्राम-डोहरिया की भूमि अध्यापित अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) की विज्ञापित धारा-4(1)/17 के प्रकाशित गजट दिनांक 03-06-2004 के प्रकाशन से 3 वर्ष पूर्व की अवधि में निष्पादित हुये विक्रयपत्रों का संकलन उप निबन्धक कार्यालय बरेली से भूमि अर्जन अमीन के द्वारा कराया गया था। जिनका सत्यापन उप निबन्धक द्वारा किया गया है।

उक्त अवधि में ग्राम-डोहरिया में कुल 43 विक्रयपत्र निष्पादित होने की आख्या भूमि अर्जन अमीन द्वारा प्रस्तुत की गयी। जो अनुसूची -2 में रूप में पत्रावली में संलग्न है। अर्जित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि अनुसूची-2 के क्रमांक-3, 06, 09, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 34, पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि के नहीं है तथा अर्जित भूमि से दूर स्थित है। जिस कारण इन विक्रयपत्रों पर विचार किया जाना न्यायसंगत नहीं है इन विक्रयपत्रों में अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु उचित न समझते हुये इन्हे निरस्त करता हूँ।

अनुसूची-2 के क्रमांक-07,11, पर अंकित विक्रयपत्र वर्गमीटर में निष्पादित हुये है,परन्तु इन विक्रयपत्रों में कय की गयी भूमि के गाटा संख्या अंकित नहीं है, गाटा संख्या अंकित न होने के कारण इन विक्रयपत्रों पर विचार किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है तथा इन विक्रयपत्रों को अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु उचित न समझते हुये इन्हे निरस्त करता हूँ।

अनुसूची-2 के क्रमांक 17, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि के विक्रयपत्र है,परन्तु यह विक्रयपत्र वर्गगज/वर्गमीटर अधिक दर के निष्पादित किये गये है जबकि अर्जित की जा रही भूमि कृषि भूमि है उनकी दरे बहुत अधिक है इन विक्रयपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह विक्रयपत्र आवादी के निकट की भूमि के प्रतीत होते है इस कारण इन विक्रयपत्रों में प्रतिनिधि विक्रयपत्र के रूप में अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु चयन किया जाना न्यायसंगत नहीं है इन विक्रयपत्रों को अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु उचित न समझते हुये इन्हे निरस्त करता हूँ।

अनुसूची-2 के क्रमांक- 02, 04, 05, 23, 24, 28, 30, 35, पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि के विक्रयपत्र पर है परन्तु यह सभी विक्रयपत्र बहुत कम दर के विक्रयपत्र है। जिनके आधार पर अर्जित भूमि का मूल्यांकन किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस कारण इन विक्रयपत्रों को अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु उचित न समझते हुये निरस्त करता हूँ।

अब भेरे समक्ष अनुसूची-2 के क्रमांक-01, 08, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 36, पर अंकित विक्रय पत्र विचारार्थ शेष रह जाते है। यह सभी विक्रयपत्र अर्जित भूमि के विक्रयपत्र है क्रमांक 01 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 19.03.2002 को श्री रामचन्द्र पुत्र नरायन निवासी ग्राम-डोहरिया के द्वारा ब्रजमोहन पुत्र शिवचरन निवासी ग्राम डोहरिया के हम में गाटा संख्या-379/0.019 व गाटा संख्या-380/0.076 हेक्टर कुल 0.095 हेक्टर का 1/8 भाग अंकन-29,296.00 रुपये में बय किया गया है। जिसकी दर अंकन-235.45 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक 08 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 29.11.2002 को श्री शेर सिंह पुत्र सुख्येन निवासी ग्राम डोहरिया के द्वारा श्री भूपराम,रामेश्वर दयाल पुत्रगण विहारीलाल निवासी ग्राम-डोहरिया के हक में गाटा संख्या- 214/ 0.341 हेक्टर का 1/6 भाग अंकन-57,000-00रुपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 100.29 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक 14 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 15.02.2003 को श्री ब्रजभूषण पुत्र रोशन निवासी ग्राम डोहरिया के द्वारा श्री मायादेवी पत्नी भीम सैन निवासी ग्राम के हक में गाटा संख्या- 169/ 0.0315 हेक्टर अंकन-60,000-00रुपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 190.47 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक-15 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 24.02.2003 को श्री ओमप्रकाश पुत्र रोशन निवासी ग्राम डोहरिया के द्वारा श्री जगदीश सरन मिश्रा पुत्र सियाराम मिश्रा निवासी ग्राम हरुनगला के हक में गाटा संख्या- 214/ 0.341 हेक्टर का 1/4 भाग अंकन - 1,12,000-00रुपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 131.38 पैसे प्रति वर्ग मीटर आती है,क्रमांक-16 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक



28.03.2003 को श्री हरिओम अग्रवाल पुत्र चन्द्रसेन निवासी मौ. सिकलापुर के द्वारा श्री पंकज गोयल पुत्र विनोद कुमार गोयल निवासी 193 आवास विकास कालौनी बरेली के हक में गाटा संख्या- 393/0.392 हेक्टर व गाटा संख्या-452 उ/0.0380 हेक्टर का कुल 0.430 हेक्टर का अंकन-6,10,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 141.86 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक-19 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2003 को श्री गोपाल कृष्ण व आलोक कुमार पुत्रगण कलास वहादुर व कृष्णा पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी प्रेमनगर बरेली के द्वारा श्री चन्द्रपाल पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम डोहरिया के हक में गाटा संख्या- 366/ 0.152 हेक्टर का 1/2 भाग का अंकन- 1,00,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 131.58 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक 21 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 14.05.2003 को श्री सुनील शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी बी.22 इन्द्रानगर, के द्वारा श्री अमित कुमार पुत्र महेश चन्द्र निवासी जगतपुर के हक में गाटा संख्या-391/0.095 हेक्टर अंकन- 1,00,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 105.26 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक-25 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 03.06.2003 को श्री नीपालीजी एंड फाइनेंस प्रा०लि० सिविल लाइन बरेली द्वारा डायरेक्टर पुष्पेन्द्र प्रकाश पुत्र कृष्ण प्रकाश सिविल लाइन बरेली के द्वारा श्री हरीश पटेल पुत्र शोभाराम निवासी 9/1 पी० डब्लू०डी०कालौनी बरेली के हक में गाटा संख्या- 392/ 0.055 हेक्टर अंकन - 1,24,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 130.53 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक-26 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 06.08.2003 को श्रीमती गुरदीप कौर पत्नी कर्नल इन्द्रजीत सिंह निवासी 26 केन्ट बरेली के द्वारा श्री दिलीप जयसवाल, विशाल जयसवाल पुत्रगण सुभाष चन्द्र जयसवाल निवासी नवम्दा शेखान बरेली के हक में गाटा संख्या-390/ 0.340 हेक्टर व गाटा संख्या-452छ/ 0.027 हेक्टर कुल 0.367 हेक्टर का 1/2 भाग व गाटा संख्या-452च/0.148 हेक्टर में से 1/4 भाग का अंकन-3,00,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन-136.05 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक- 27 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 06.08.2003 को श्रीमती गुरदीप कौर पत्नी कर्नल इन्द्रजीत सिंह निवासी 26 केन्ट बरेली के द्वारा श्री विक्रम जयसवाल पुत्र ओमप्रकाश जयसवाल निवासी नवादा शेखान बरेली के हक में गाटा संख्या-390/ 0.340 हेक्टर व गाटा संख्या-452छ/ 0.027 हेक्टर कुल 0.367 हेक्टर का 1/2 भाग व गाटा संख्या-452च/0.148 हेक्टर में से 1/4 भाग का अंकन-3,00,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 136.05 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक-36 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 04.02.2004 को श्री त्रिलोकी सिंह पुत्र ठाकुर दास निवासी डोहरिया के द्वारा श्री सोहनलाल पुत्र प्रेमराज निवासी रूपापुर वदपुरा के हक में गाटा संख्या-361/ 0.367 हेक्टर का 1/11 भाग का अंकन-39,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 116.89 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है। इन 11 विक्रयपत्रों की कुल दर अंकन-1,555.81पैसे वर्गमीटर प्रगणित होती है, जिनकी औसत दर अंकन- 141.44 पैसे आती है। यह सभी विक्रयपत्र अर्जित भूमि के समान उपयोगिता रखते हैं और सही सही बाजार मूल्य भी दर्शाते हैं। अर्जित भूमि कृषि भूमि है। इन विक्रयपत्रों को अर्जित भूमि के होने के कारण एवं अर्जित भूमि के समान उपादेयता शक्ति रखने के फलस्वरूप उचित समझते हुये अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु 11 विक्रयपत्रों की औसत दर अंकन-141.44 पैसे प्रतिवर्गमीटर की दर से अर्जित भूमि के एतिकर के मूल्यांकन प्रतिनिधि विक्रयपत्र के रूप में चयन किया जाता है। जिसके अनुसार करार से अवशेष गाटा संख्या-22/0.082, 25/0.1485, 36/0.1345, 29/0.208, 45/0.1085, 46/0.219, 115/0.366, 49/0.373, 61/0.355, 62/0.120, 102/0.200, 63/0.200, 64/1.356, 92/1.570, 223/0.114, 357/0.367, 360/0.266, 68/0.205, 96/0.134, 78ख/0.046, 78ग/0.047, 84/0.797, 94/0.396, 101/0.200, 106/0.2835, 160/0.45825, 107/0.231, 174/0.075, 378/0.145, 112/0.186, 117/0.477, 119/0.034334, 121/0.841, 122/0.234, 129/0.367, 130/0.4474, 136/0.280, 140/0.114, 151/0.253, 218/0.32122, 159/0.168, 168/0.164, 178/1.322, 183/0.119, 185/0.126, 188/0.057, 237/0.015, 243/0.0486, 351/0.186, 195/0.059, 199/0.004, 200/0.025, 206/0.390, 214/0.341, 242/0.438, 235/0.084, 241/0.090, 322/0.080, 340/



150

1.272, 402/0.854, 244/0.267, 246/0.143, 366/0.126667, 368/0.057, 377/0.025, 369/0.114, 381/0.405, 383मि./175, 383मि./0.234, 384मि./0.118, 383/0.175, 384मि./0.176, 391/0.095, 403/0.162, 421/0.089, 422/0.025, 60/0.954, 147/0.190, 155/0.226, 173/0.028, 361/0.357, 388/0.051, 367/0.006, 146/0.0198, 225/0.703, 226/0.038, 233/0.063, 238/0.025, 250/0.033, 253/0.625, 339/0.991, 343/0.790, हेक्टर कुल-26.089271 हेक्टर अर्जित भूमि का प्रतिकर निम्न प्रकार प्रगणित होता है।

तालिका

क्र.सं.	अर्जित क्षेत्रफल हेक्टर में	दर प्रति वर्गमीटर	प्रतिकर
1-	26.089270 हेक्टर अर्थात् 260892.70 वर्गमीटर का प्रतिकर	141.44 पैसे	3,69,00,663.49
2-	प्रतिकर का दो गुना	-	7,38,01,326.98
3-	सम्पत्ति	-	26,56,265.24
4-	कालम 2 व 3 का योग-	-	7,64,57,592.22
5-	100 प्रतिशत सोलेशियम	-	7,64,57,592.22
6-	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा 4 के दिनांक से कब्जे के दिनांक तक	-	74,98,436.70
7-	योग-	-	16,04,13,621.14

ग्राम- डोहरिया के अधिग्रहण से प्रभावित गाटा संख्या-370/0.372/0.025, 373/0.291, 374/0.063, 395/0.937, 396/0.232, 397/0.232, 401/0.492, 341/0.613, 04/0.862, 73/0.050, 216/0.874, 171/0.846, 03/0.340, 349/0.095, 133/1.332, 105/0.04725, 75/0.193, 74/0.217, 375/0.057, 350/0.82, 356/0.2465, 385/0.231, 393/0.392, 386/0.170, 387/0.683, 394/0.937, 98/0.778, 207/0.157, 108/0.388, 363/0.714, 364/0.259, 365/0.278, 240/0.154, 234/0.375, 390/0.340, 248/0.887, 144/0.101, 150/0.139, 361/0.010, 353/0.164, 58/0.879, 60/0.106, 67/0.250, 138/0.051, 139/0.123, 141/0.036, 142/0.089, 143/0.063, 147/0.393, 155/0.500, 221/0.316, 222/0.089, 224/0.038, 229ग/0.068, 229ख/0.192, 230/0.152, 245/0.139, 346/0.190, 347/0.048, 348/0.095, 352/0.047, 399/0.526, 250/0.030, 257/0.022, 380/0.076, 379/0.019, 30/1.970, 51/0.076, 52/0.120, 53/0.025, 54/0.038, 56/1.053, 81/0.041, 358/0.341, 120/0.577, 135/1.475, 169/0.18978, 184/0.126, 132/0.881, 91/2.143, 134/0.190, 211/0.950, 212/0.376, 128/0.648, 378/0.2567, हेक्टर कुल क्षेत्रफल-31.59623 हेक्टर पर आबादी होने तथा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन होने के कारण इन गाटा संख्याओं पर अर्जन निकाय द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। इस कारण अभिनिर्णय में सम्मिलित नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार ग्राम- डोहरिया की करार से अवशेष भूमि 26.089271 हेक्टर अर्जित भूमि का प्रतिकर अंकन-7,38,01,326-98 पैसे सम्पत्ति का मूल्य अंकन-26,56,265-24 पैसे कुल अंकन-7,64,57,592-22 पैसे होता है, तथा उस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम अंकन-7,64,57,592-22 पैसे तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर अंकन-74,98,436-70 पैसे आता है। जिसका कुल प्रतिकर अंकन-16,04,13,621-14 पैसे अर्थात् 16,04,13,622-00 रुपये प्रगणित होता है।

अर्जित भूमि पर कब्जे के दिनांक से अभिनिर्णय तक प्रथम एक वर्ष के लिये 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज तथा शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत की दर से व्याज देय होगा तथा उक्त योजना हेतु भूमि अर्जन से प्रभावित भूस्वामियों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान नये अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत धनराशि नियमानुसार देय होगी। जिसका विवरण प्रपत्र संख्या-11 में उल्लिखित किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि अध्यापित व्यय के रूप में नियमानुसार 10 प्रतिशत धनराशि अर्जन निकाय से प्राप्त कर निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायी जायेगी।

प्रकरण में नियमानुसार पूंजीकृत मूल्य की धनराशि लगान का 40 गुना अर्जन निकाय से प्राप्त कर निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायी जायेगी।

आयुक्त बरेली मण्डल बरेली द्वारा दर एवं धनराशि की स्वीकृति दिनांक 20.07.2015 के उपरान्त उक्त अभिनिर्णय कृषक एवं ग्राम लेखपाल तथा अर्जन निकाय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज दिनांक 25.07.2015 को खुले न्यायालय में घोषित किया जाता है।

दिनांक 25.07.2015



M
25/7/15
(मनीष कुमार माहेश)
विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी,
(संयुक्त-संगठन) बरेली।

सरकार का प्रेषित है।

संज्ञापित

25/7/15
संगठन
बरेली
25/7/15
25/7/15

M
25/7/15
पञ्चानन सिंह
विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी
(संयुक्त संगठन) बरेली

घोषित अनुपूरक अभिनिर्णय

1-	वाद संख्या -	आठ-14/1, सन, 2004
2-	जिला/तहसील/परगना-	बरेली/बरेली/बरेली
3-	ग्राम का नाम	इहरीया
4-	अर्जन निकाय का नाम-	उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली
5-	अर्जन का प्रयोजन	रामगंगा नगर आवासीय योजना फ़ैस-2 के निर्माण हेतु ।
6-	क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है-	हां
7-	क्या प्रस्ताव में धारा-17 के प्रावधान लागू है-	हां
8-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक -	संख्या 608/9-आं0-3-2004-49एल.ए.2003 लखनऊ दिनांक 03.06.2004
9-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक-	दिनांक 03-06-2004
10-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक	1- दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004 2- अमर उजाला दिनांक 07.07.2004
11-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के शुद्धि पत्र के गजट का दिनांक	23.12.2004
12-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के शुद्धि पत्र के गजट का दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक	1-दैनिक जागरण दिनांक 20.01.2005 2-अमर उजाला दिनांक 20.01.2005
13-	धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति के नोटिस का दिनांक	22.02.2005
14-	धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति संख्या/दिनांक	2168/8-3-2005-49 एल.ए0 2003 लखनऊ दिनांक 04.07.2005
15-	धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति का राजकीय गजट में प्रकाशन का दिनांक	दिनांक 04.07.2005
16-	धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति का दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक	1.अमर उजाला दिनांक 22.08.2005 2.रोटीराम दिनांक 22.08.2005
17	धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति की सर्वसाधारण सूचना/मुनादी का दिनांक	13/14-09-2005
18	कब्जे का दिनांक-	16.12.2005, 11.11.2011, 21.04.2012
19	अभिनिर्णय का दिनांक	26-04-2016
20	अनुमानित प्रतिकर	बजट में प्रावधानिक है
21	कुल अर्जित क्षेत्रफल	87-542 हेक्टर
22	करार के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णयो का क्षेत्रफल	29.8565 हेक्टर
23	घोषित अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	26.08927 हेक्टर
24	कब्जा रहित क्षेत्रफल	8.261 हेक्टर
25	अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	23.33523 हेक्टर ✓
26	अनुमानित प्रतिकर	बाजारू दर पर
27	निर्धारित प्रतिकर	बजारू दर पर
क	भूमि का मूल्य	6,60,10,698.62
ख	सम्पत्ति का मूल्य	18.18,398.00

	योग-	6,78,29,096.62
ग	100 प्रतिशत सोलेशियम	6,78,29,096.62
घ	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा 4 के दिनांक से कब्जे के दिनांक तक	55,24,457.66
	कालम क+ख+ग+घ का योग	14,11,82,650.90
28	भूमि अर्जन व्यय	नियमानुसार देय होगा।
29	पूजीकृत मूल्य	नियमानुसार देय होगा।

जनपद बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना के निर्माण हेतु ग्राम-चन्दपुर विचपुरी का क्षेत्रफल 130-017597 हेक्टर, ग्राम डोहरिया का क्षेत्रफल 87-542 हेक्टर, ग्राम- मोहनपुर उर्फ रामनगर का क्षेत्रफल 30-184 हेक्टर तथा ग्राम- अहरौला का क्षेत्रफल 11-618 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच भूमि अर्जन अधिनियम से करायी गयी। जांचोपरान्त प्रस्ताव सही पाये जाने पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) की धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति जारी/ प्रकाशित कराने हेतु निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन के सम्बन्धित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा अधिसूचना संख्या- 608/9-आ0-3-2004-49एल.ए.2003 लखनऊ दिनांक 03.06.2004 को जारी की गयी जिसका प्रकाशन असाधारण गजट में दिनांक 3.06.2004 को हुआ, तदोपरान्त नियमानुसार दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण दिनांक 07.07.2004, अमर उजाला में दिनांक 07.07.2004, को प्रकाशित करायी गयी। विज्ञप्ति के प्रकाशन उपरान्त अधिग्रहण की सूचना प्रभावित कृषकों को सार्वजनिक सूचना / मुनादी दिनांक 22.02.2005 के माध्यम से करायी गयी। विज्ञप्ति धारा-4(1)/17 की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) की विज्ञप्ति धारा- 6(1)/17 जारी/प्रकाशित कराने हेतु प्रस्ताव पुनः निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया। जिस पर शासन द्वारा विज्ञप्ति धारा- 6(1)/17 की अधिसूचना संख्या- 2168/8-3-2005-49 एल.ए. 2003 लखनऊ दिनांक 04.07.2005 जिसका असाधारण राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 04.07.2005 को हुआ, तथा नियमानुसार दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन क्रमशः दैनिक अमर उजाला में दिनांक 22.08.2005, दैनिक रोटी राम में दिनांक 22.08.2005 को करायी गया, तथा जिसकी सार्वजनिक सूचना/मुनादी दिनांक 13/14-09-2005 को विधिवत करायी गयी। विज्ञप्ति धारा-6(1)/17 की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त भूमि अध्याप्ति अधिनियम 9(1)(2)(3) के सामान्य विशेष नोटिस प्रभावित भूस्वामियों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जारी किये गये। नियत दिनांक पर कुल 113 भूस्वामियों ने अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयीं। जिनका विवरण एवं निस्तारण घोषित अभिनिर्णय दिनांक 25.07.2015 में उल्लिखित किया गया है। घोषित अभिनिर्णय दिनांक 25.07.2015 का यह अभिनिर्णय अंग रहेगा।

धारा-9 की सुनवाई के उपरान्त अधिग्रहण की धारा-17 के अनुसार विभाग को कब्जा हस्तान्तरित करायी जाने हेतु समस्त भू स्वामियों को भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 17 (3) (अ) के अन्तर्गत 80 प्रतिशत अग्रिम टेण्डर भुगतान प्राप्त करने एवं भूमि पर से कब्जा छोड़े जाने हेतु नोटिस निर्गत किये गये। नियत दिनांक पर भू-स्वामियों ने अपना 80 प्रतिशत टेण्डर भुगतान प्राप्त कर लिया। जो भूस्वामी भुगतान प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुये उनके देयको पर नियमानुसार राजस्व जमा लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराते हुये बरेली विकास प्राधिकरण बरेली को अर्जित भूमि पर कब्जा हस्तान्तरण किया गया। उक्त कार्यवाही के साथ-साथ प्रभावित भूस्वामियों को उनकी अधिग्रहीत की गयी भूमि जिसपर कब्जा प्राप्त कर लिया गया था पर भू-स्वामियों का नाम खारिज करते हुये बरेली विकास प्राधिकरण बरेली का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया।

अर्जन से प्रभावित भूमि का अन्तिम निर्णय (प्रतिकर निर्धारण) लेने से पूर्व शासन नीति अनुसार भू-स्वामियों से उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली 1997 एवं शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जिला स्तरीय दर निर्धारण कमेंटी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर करार नियमावली के अन्तर्गत अभिनिर्णय घोषित कर प्रतिकर वितरण किया जा चुका है।

इसी मध्य भारत सरकार द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894(संशोधित अधिनियम 1984) निरसित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा नया अधिनियम 2013 लागू किया गया। जो उत्तर प्रदेश सरकार में दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी किया गया है। नये अधिनियम 2014 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-13 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-45/एक-13-2014-7क(4)14 टीसी दिनांक 14. मार्च 2014 दिनांक के अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-24(1)(क) के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुये शासनादेश के विन्दु संख्या-2 के उल्लिखित किया गया है कि भू-अर्जन के ऐसे प्रकरण जिनमें भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की (धारा-26 से 30सपठित प्रथम अनुसूची) के प्रावधानों से किया जायेगा और ऐसे मामलों में प्रदेश में पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन शासनादेश दिनांक 17.08.2010, 03.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा लाभ दिये जायेंगे तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-539/8-3-14-31 विविध/14 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 24, मार्च, 2014 के अन्तर्गत पृष्ठ संख्या-2 के प्रस्तर-ए के विन्दु क एवं ख में उल्लिखित किया गया है कि जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं किया गया है वहां इस अधिनियम के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से सम्बन्धित सभी उपबन्ध लागू होंगे।

नये अधिनियम 2013 के अनुपालन कुल अर्जित भूमि 87.542 में से 29.8565 हेक्टर भूमि के करार निष्पादित होने के बाद 26.08927 हेक्टर भूमि के घोषित अभिनिर्णय दिनांक 25.07.2015 के बाद 31.59623 हेक्टर भूमि अवशेष बचती है।

करार निष्पादन होने एवं घोषित अभिनिर्णय दिनांक 25.07.2015 के बाद अवशेष बची भूमि 34.0338 हेक्टर भूमि का अभिनिर्णय घोषित करने हेतु उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली ने अपने पत्र संख्या-6787/का0वि0प्रा0/2015-16 दिनांक 04.02.2016 के द्वारा निर्देश दिये है कि रामगंगानगर आवासीय योजना में विभिन्न रिट याचिकाओं में किसानों द्वारा दायर की गयी रिट याचिकाओं एवं उनके वर्तमान में प्रभावी स्थगन आदेशों का विवरण तथा स्थगन आदेशों के अनुसार स्थल पर भूमि का कब्जा यथा स्थिति बनाये रखे जाना है। उक्त स्थगन आदेश में भूमि का अभिनिर्णय घोषित किये जाने पर कोई रोक नहीं है। भूमि का विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1-	चन्दपुर विचपुरी	19.8137
2-	डोहरिया	34.0388
3-	मोहनपुर उर्फ रामनगर	0.097
4-	अहरौला	4.937
	कुल योग-	58.8865

पूर्व में घोषित अभिनिर्णय में उक्त भूमि का अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है। श्री प्रताप सिंह व श्री श्यामाचरण द्वारा दिये गये पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने अधिवक्ता श्री अरुण कुमार से विधिक राय प्राप्त की गयी है जिसके अनुसार विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों में अभिनिर्णय घोषित किये जाने हेतु कोई विधिक बाधा नहीं है तथा अभिनिर्णय घोषित किया जा सकता है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के कैम्प कार्यालय पर बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के अधिकारियों के साथ दिनांक 19.02.2015 को बैठक आहूत की गयी। आहूत बैठक में भी निर्देश दिये गये कि रिट याचिकाओं से प्रभावित भूमि का अभिनिर्णय घोषित किया जाये। उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण बरेली के पत्र दिनांक 04.02.2016 एवं बैठक दिनांक 19.02.2016 में दिये निर्देशों के अनुपालन में करार एवं घोषित अभिनिर्णय दिनांक 25.07.2015 से अवशेष बची भूमि 31.59623 हेक्टर में से 9.261 हेक्टर भूमि कब्जा रहित होने के कारण अभिनिर्णय से विरत करते हुये 23.33523 हेक्टर भूमि का अनुपूरक अभिनिर्णय घोषित किया जायेगा। ग्राम-डोहरिया की अनुपूरक अभिनिर्णय हेतु

23.33523 हेक्टर भूमि के प्रतिकर की दरों के निर्धारण हेतु नये अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत ग्राम-चन्दपुर विचपुरी से सम्बन्धित भूमि अर्जन प्रस्ताव में भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की विज्ञप्ति धारा-4(1)/17 के प्रकाशित गजट दिनांक 03-06-2004 के प्रकाशन से 3 वर्ष पूर्व की अवधि में निष्पादित हुये विक्रयपत्रों का संकलन उप निबन्धक कार्यालय बरेली से भूमि अर्जन अमीन के द्वारा कराया गया था। जिनका सत्यापन उप निबन्धक द्वारा किया गया है।

उक्त अवधि में ग्राम-डोहरिया में कुल 43 विक्रयपत्र निष्पादित होने की आख्या भूमि अर्जन अमीन द्वारा प्रस्तुत की गयी। जो अनुसूची -2 में रूप में पत्रावली में संलग्न है। अर्जित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार पाया गया कि अनुसूची-2 के क्रमांक-3, 06, 09, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 34, पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि के लही है तथा अर्जित भूमि से दूर स्थित है। जिस कारण इन विक्रयपत्रों पर विचार किया जाना न्यायसंगत नहीं है इन विक्रयपत्रों में अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु उचित न समझते हुये इन्हे निरस्त करता हूँ।

अनुसूची-2 के क्रमांक-07,11, पर अंकित विक्रयपत्र वर्गमीटर में निष्पादित हुये है,परन्तु इन विक्रयपत्रों में कय की गयी भूमि के गाटा संख्या अंकित नहीं है, गाटा संख्या अंकित न होने के कारण इन विक्रयपत्रों पर विचार किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है तथा इन विक्रयपत्रों को अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु उचित न समझते हुये इन्हे निरस्त करता हूँ।

अनुसूची-2 के क्रमांक 17, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि के विक्रयपत्र है,परन्तु यह विक्रयपत्र वर्गगज/वर्गमीटर/अधिक दर के निष्पादित किये गये हैं जबकि अर्जित की जा रही भूमि कृषि भूमि है इनकी दरें बहुत अधिक हैं इन विक्रयपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह विक्रयपत्र आवादी के निकट की भूमि के प्रतीत होते हैं इस कारण इन विक्रयपत्रों में प्रतिनिधि विक्रयपत्र के रूप में अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु चयन किया जाना न्यायसंगत नहीं है इन विक्रयपत्रों को अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु उचित न समझते हुये इन्हे निरस्त करता हूँ।

अनुसूची-2 के क्रमांक- 02, 04, 05, 23, 24, 28, 30, 35, पर अंकित विक्रयपत्र अर्जित भूमि के विक्रयपत्र पर है परन्तु यह सभी विक्रयपत्र बहुत कम दर के विक्रयपत्र है। जिनके आधार पर अर्जित भूमि का मूल्यांकन किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस कारण इन विक्रयपत्रों को अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु उचित न समझते हुये निरस्त करता हूँ।

अब मेरे समक्ष अनुसूची-2 के क्रमांक-01, 08, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 36, पर अंकित विक्रय पत्र विचारार्थ शेष रह जाते हैं। यह सभी विक्रयपत्र अर्जित भूमि के विक्रयपत्र है क्रमांक 01 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 19.03.2002 को श्री रामचन्द्र पुत्र नरायन निवासी ग्राम-डोहरिया के द्वारा ब्रजमोहन पुत्र शिवचरन निवासी ग्राम डोहरिया के हक में गाटा संख्या-379/0.019 व गाटा संख्या-380/0.076 हेक्टर कुल 0.095 हेक्टर का 1/8 भाग अंकन-29,296.00 रुपये में वय किया गया है। जिसकी दर अंकन-235.45 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक 08 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 29.11.2002 को श्री शेर सिंह पुत्र सुखन निवासी ग्राम डोहरिया के द्वारा श्री भूपराम,रामेश्वर दयाल पुत्रगण विहारीलाल निवासी ग्राम-डोहरिया के हक में गाटा संख्या- 214/ 0.341 हेक्टर का 1/6 भाग अंकन-57,000-00रुपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 100.29 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक 14 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 15.02.2003 को श्री ब्रजभूषण पुत्र रोशन निवासी ग्राम डोहरिया के द्वारा श्री मायादेवी पत्नी भीम सैन निवासी ग्राम के हक में गाटा संख्या- 169/ 0.0315 हेक्टर अंकन-60,000-00रुपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 190.47 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, क्रमांक-15 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 24.02.2003 को श्री ओमप्रकाश पुत्र रोशन निवासी ग्राम डोहरिया के द्वारा श्री जगदीश सरन मिश्रा पुत्र सियाराम मिश्रा निवासी ग्राम हरुनगला के हक में गाटा संख्या- 214/ 0.341 हेक्टर का 1/4 भाग अंकन - 1,12,000-00रुपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 131.38 पैसे प्रति वर्ग मीटर आती है,क्रमांक-16 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 28.03.2003 को श्री हरि ओम अग्रवाल पुत्र चन्द्रसेन निवासी नौ. सिकलापुर के द्वारा श्री पंकज गोयल पुत्र विनोद कुमार गोयल निवासी 193 आवास विकास कालौनी बरेली के हक में गाटा संख्या- 303/0.392 हेक्टर व गाटा संख्या-452 उ/0.0380 हेक्टर का कुल 0.430 हेक्टर

का अंकन-6,10,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 141.86 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है,कमांक-19 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2003 को श्री गोपाल कृष्ण व आलोक कुमार पुत्रगण कैलास वहादुर व कृष्णा पत्नी जगदीश प्रसाद निवासी प्रेमनगर बरेली के द्वारा श्री चन्द्रपाल पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम डोहरिया के हक में गाटा संख्या- 366/ 0.152 हेक्टर का 1/2 भाग का अंकन- 1,00,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 131.58 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है,कमांक 21 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 14.05.2003 को श्री सुनील शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा निवासी बी.22 इन्द्रानगर के द्वारा श्री अमित कुमार पुत्र महेश चन्द्र निवासी जगतपुर के हक में गाटा संख्या-391/0.095 हेक्टर अंकन- 1,00,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 105.26 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है,कमांक-25 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 03.06.2003 को श्री नीपालीजी एंड फाइनैस प्रा0लि0 सिविल लाइन बरेली द्वारा डायरेक्टर पुष्पेन्द्र प्रकाश पुत्र कृष्ण प्रकाश सिविल लाइन बरेली के द्वारा श्री हरीश पटेल पुत्र शोभाराम निवासी 9/1 पी0 डब्लू0डी0कालौनी बरेली के हक में गाटा संख्या- 392/ 0.095 हेक्टर अंकन - 1,24,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 130.53 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, कमांक-26 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 06.08.2003 को श्रीमती गुरदीप कौर पत्नी कर्नल इन्द्रजीत सिंह निवासी 26 केन्ट बरेली के द्वारा श्री दिलीप जयसवाल, विशाल जसवाल पुत्रगण सुभाष चन्द्र जसवाल निवासी नवादा, शेखान बरेली के हक में गाटा संख्या-390/ 0.340 हेक्टर व गाटा संख्या-452छ/ 0.027 हेक्टर कुल 0.367 हेक्टर का 1/2 भाग व गाटा संख्या-452च/0.148 हेक्टर में से 1/4 भाग का अंकन-3,00,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन-136.05 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है,कमांक- 27 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 06.08.2003 को श्रीमती गुरदीप कौर पत्नी कर्नल इन्द्रजीत सिंह निवासी 26 केन्ट बरेली के द्वारा श्री विकास जयसवाल पुत्र ओमप्रकाश जयसवाल निवासी नवादा शेखान बरेली के हक में गाटा संख्या-390/ 0.340 हेक्टर व गाटा संख्या-452छ/ 0.027 हेक्टर कुल 0.367 हेक्टर का 1/2 भाग व गाटा संख्या-452च/0.148 हेक्टर में से 1/4 भाग का अंकन-3,00,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 136.05 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है, कमांक-36 पर अंकित विक्रयपत्र दिनांक 04.02.2004 को श्री त्रिलोकी सिंह पुत्र ठाकुर दास निवासी डोहरिया के द्वारा श्री सोहनलाल पुत्र प्रेमराज निवासी रूपापुर वढेपुरा के हक में गाटा संख्या-361/ 0.367 हेक्टर का 1/11 भाग का अंकन-39,000-00रूपये में विक्रय किया गया है। जिसकी दर अंकन- 116.89 पैसे प्रति वर्गमीटर आती है। इन 11 विक्रयपत्रों की कुल दर अंकन-1,555.81पैसे वर्गमीटर प्रगणित होती है, जिनकी औसत दर अंकन- 141.44 पैसे आती है। यह सभी विक्रयपत्र अर्जित भूमि के समान उपयोगिता रखते हैं और सही-सही बाजार मूल्य भी दर्शाते हैं। अर्जित भूमि कृषि भूमि है। इन विक्रयपत्रों को अर्जित भूमि के होने के कारण एवं अर्जित भूमि के समान उपादेयता शक्ति रखने के फलस्वरूप उचित समझते हुये अर्जित भूमि के मूल्यांकन हेतु 11 विक्रयपत्रों की औसत दर अंकन-141.44 पैसे प्रतिवर्गमीटर की दर से अर्जित भूमि के प्रतिकर के मूल्यांकन प्रतिनिधि विक्रयपत्र के रूप में चयन किया जाता है। जिसके अनुसार करार एवं घोषित अभिनिर्णय से अवशेष गाटा संख्या-3/0.340, 4/0.862, 73/0.050, 74/0.217, 75/0.193, 91/2.143, 98/0.778, 105/0.04725, 108/0.388, 120/0.577, 128/0.648, 132/0.881, 133/1.332, 135/1.475, 134/0.190, 211/0.950, 212/0.376, 207/0.157, 373/0.291,374/0.063, 169/0.18978, 171/0.846, 184/0.126, 189/0.095, 216/0.874, 341/0.613, 395/0.937, 350/0.182, 356/0.2465, 370/0.139, 372/0.025, 401/0.492, 375/0.057, 376/0.2567, 385/0.231, 386/0.170, 387/0.683, 393/0.392, 396/0.232, 397/0.232, 394/0.937, 353/0.164, 361/0.010, 150/0.139, 144/0.101, 234/0.375, 240/0.154, 248/0.887, 363/0.714, 365/0.278, 364/0.259, 390/0.340, हेक्टर कुल-23.33523 हेक्टर अर्जित भूमि का प्रतिकर निम्न प्रकार प्रगणित होता है।

तालिका

क्र.सं.	अर्जित क्षेत्रफल हेक्टर में	दर प्रति वर्गमीटर	प्रतिकर
1-	23.33523हेक्टर अर्थात् 2333523 वर्गमीटर का प्रतिकर	141.44 पैसे	3,30,05,349.31
2-	प्रतिकर का दो गुना	-	6,60,10,698.62

3-	सम्पत्ति	18,18,398.00
4-	कालम 2 व 3 का योग-	6,78,29,096.62
5-	100 प्रतिशत सोलेशियम	6,78,29,096.62
6-	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर धारा 4 के दिनांक से कब्जे के दिनांक तक	55,24,457.66
7-	कालम 4+5+6 का योग-	14,11,82,650.90

ग्राम- डोहरिया के अधिग्रहण से प्रभावित गाटा संख्या- 52/0.120, 53/0.025, 54/0.038, 56/1.053, 81/0.041, 58/0.879, 60/0.106, 67/0.250, 138/0.051, 139/0.183, 141/0.036, 142/0.089, 143/0.063, 147/0.393, 155/0.500, 221/0.316, 222/0.089, 224/0.038, 229ग/0.068, 229ख/0.192, 230/0.152, 245/0.139, 346/0.190, 347/0.048, 348/0.095, 352/0.047, 358/0.341, 399/0.526, 250/0.030, 257/0.022, 380/0.076, 379/0.019, 30/1.970, 51/0.076, हेक्टर कुल क्षेत्रफल 8.261 हेक्टर भूमि पर अर्जन निकाय द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। इस कारण अभिनिर्णय में यह क्षेत्रफल सम्मिलित नहीं किया गया है। जिसके सम्बन्ध में वाद में निर्णय लिया जायेगा।


इस प्रकार ग्राम- डोहरिया की अर्जित भूमि में से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिकाओं से प्रभावित क्षेत्रफल-23.33523 हेक्टर भूमि जिसपर बरेली विकास प्राधिकरण बरेली को कब्जा दिया जा चुका है, का अभिनिर्णय घोषित किया जायेगा। अभिनिर्णय हेतु कुल क्षेत्रफल- 23.33523 हेक्टर भूमि का प्रतिकर अंकन-6,60,10,698-62 पैसे सम्पत्ति का मूल्य अंकन -18,18,398-00 कुल अंकन-6,78,29,096-62 पैसे होता है, तथा उस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम अंकन-6,78,29,096-62 पैसे तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर अंकन-55,24,457-66 पैसे आता है। जिसका कुल प्रतिकर अंकन-14,11,82,650-90 पैसे अर्थात् 14,11,82,651-00 रुपये प्रगणित होता है।


अर्जित भूमि पर कब्जे के दिनांक से अभिनिर्णय तक नियमानुसार व्याज देय होना तथा उक्त भूमि हेतु भूमि अर्जन से प्रभावित भूस्वामियों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान नये अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत धनराशि नियमानुसार देय होगी। जिसका विवरण प्रपत्र संख्या-11 में उल्लिखित किया जायेगा, तथा उक्त के अतिरिक्त भूमि अध्यापति व्यय के रूप में नियमानुसार 10 प्रतिशत धनराशि अर्जन निकाय से प्राप्त कर निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायी जायेगी।

प्रकरण में नियमानुसार पूंजीकृत मूल्य की धनराशि लगान का 40 गुना अर्जन निकाय से प्राप्त कर निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करायी जायेगी। यह अनुपूरक अभिनिर्णय ग्राम-डोहरिया के घोषित अभिनिर्णय का अंग होगा। यह अनुपूरक अभिनिर्णय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा।

आयुक्त महोदय बरेली मण्डल बरेली द्वारा दर एवं धनराशि की स्वीकृति दिनांक 12.04.2016 के उपरान्त उक्त अनुपूरक अभिनिर्णय कृषक एवं ग्राम लेखपाल तथा अर्जन निकाय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज दिनांक 26.04.2016 को खुले न्यायालय में घोषित किया जाता है।

दिनांक 26.04.2016


B-D.A.


(मनीष कुमार नाहर)
विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी,
(सयुक्त-संगठन) बरेली।



BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डोहरिया	पराना : (बेल्ती)	तहसील : बेल्ती	जनपद : बेल्ती	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	खाता संख्या : 00123
खातेदार का नाम / पिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी		
श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अंकजित हो ।						
खसियान //	152	0.3290				
	271	0.3300				
योग	2	0.6590				

कृपया उक्त खाते की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद प्रस्त विवरण /मु-नक्शा /गामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें
Disclaimer: उक्त अँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन हैं, तहसील कन्वर्टर केंद्र परामर्श से, एस.सी./लोकवाणी केंद्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डोहरिया	परगना : (बरेली)	तहसील : बरेली	जनपद : बरेली	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	खाता संख्या : 00118
खातेदार का नाम / पिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी		

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।

रास्ता / /	57	0.5370			
	88	0.2530			
	156	0.2280			
	177	0.1830			
	213	0.1770			
	227	0.1900			
	236	0.2150			
	251	0.1640			
	337क	0.3850			
	359	0.1520			
योग	10	2.4840			

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (प्लॉट (गाटा) के चार प्रस्त / विवरण / भू-नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अप्रामाणिक है, तहसील कंप्यूटर केन्द्र एच.सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से अंतरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





BHULEKH
Uttar Pradesh



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डोहरिया पुराना : (बोली) तहसील : बोली जनपद : बोली फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 खाता संख्या : 00112

खतियार का नाम / मिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान खासा संख्या क्षेत्रफल (हे.) अक्षांश टिप्पणी

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - बलामन भूमि ।

श्रेणी	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अक्षांश	टिप्पणी
जालाबाई - / -	176	0.1450		
	215	0.0250		
	306	0.0760		
योग	3	0.2460		

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त/विजय/पुनर्स्था/नामांतरण बनी) हेतु खासा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त ऑफरदे मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एडम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





BHULEKH
Uttar Pradesh

खाला विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डेहरिया पराना : (बरेली) तहसील : बरेली जनपद : बरेली फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 खाला संख्या : 00058

खाला का नाम / मिला प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हि.)	आदेश	टिप्पणी
-------------	-----------------	------	---------

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

रामगंगा नगर आवासीय योजना / ./.
फेस II बरेली विकास प्राधिकरण / ./.
बरेली / ./.

180	0.4460	पूर्व खतौनी के खाला सं0 14 से भूमि 11,500/- में रा0मह0वैक में बंधक	
24	0.1190	पूर्व खतौनी के खाला सं0 48 से बंधक बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हरनगला में जोगराज पुत्र लीलाधर मु0 14,000/- में बंधक ह0ले04.3.02	
90	0.2970		
99	0.4010		
37	0.1350		
172	0.4640	पूर्व खतौनी के खाला सं0 112 से टि0 मोहनसूर्य व भीमसेन व किशनकुमार का 2/3 भाग ग्रा0वि0वैक में बंधक ह0ले0 12.01.01	
19	0.1780	पूर्व खतौनी के खाला सं0 123 से भूमि बंधक 20,000/-	
68	0.2050		
111	0.4050	पूर्व खतौनी के खाला सं0 143 से भूमि बंधक है	
195	0.1180		
178	1.3220	पूर्व खतौनी के खाला सं0 172 से भारतीय स्टेट बैंक में शेरसिंह ,हरशकुमार ,निरकर सिंह में 1,80,000/- में बंधक किया ह0ले0 4.02.01	
203	0.0480		
108	0.3880	1414 फ0 आदेश शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक बरेली शाखा /बन्धक पत्र दृश्य / 09.04.07/24.05.07 खाला सं0 172 से बंधक पत्र निवेनी के गाटा सं0 42/0.101 की कृषि भूमि 84,000/- में बंधक हेतु बंधक की जाती है ह0ले0रा0क0 24.05.07/29.05.07	
135	1.4750		
76	0.9130		

कृपया उक्त खाले की प्रतिसति (भूखंड (गाटा) के वाद प्रप्त विक्रय /पु-नवस्था /नामांतरण बरेली) हेतु खसरा संख्या पर किन्क के
Disclaimer: उक्त ऑनरेंट ग्राह अनाधिकारार्थ है, उक्त विकरण अधिन है, तबसल नकसुदर केन्द्र एवम सी एच सी/शेखनगला
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow

1423फ0 सचिव बरेली विकास प्राधिकरण बरेलीधरक7846/
का0ब0वि0ग्रा0-2016 दि0 19.3.16 केअनुसर आदेश तहसीलदर
सदर बरेली दि021.3.16को आदेश दृश्य कि बरेली विकास
प्राधिकरणद्वारापत्रावल नेशनल बैंक शाखा रवेन्द्रनगर बरेली सेरामंगा



171	0.8460
146	0.1650
62	0.1200
102	0.2000
189	0.0950
7	0.0270
94	0.3960
11	0.0270
200	0.0250
91	2.1430
211	0.9500
212	0.3760
134	0.1900
26	0.4170
121	0.8410
8	0.0270
193	0.6590
370	0.1390
372	0.0250
64	1.3560
92	1.5700
223	0.1140
357	0.3670
360	0.2660

अवस्रीय योजना हेतु

भूमि 100 करोड में बचक की गई । ₹00क0 25.4.16/7.6.16

1423क0 सचिव बरेली विकास प्राधिकरण बरेलीधनांक7846/
का0ब0वि0प्रा0-2016 दि0 19.3.16केअनुसार आदेश तहसीलदार
सर बरेलीदि021.3.16को आदेश हुआ कि बरेली
विकासप्राधिकरणद्वारापंचाल योजनाल बैंक शाखासंकेन्दुनगर बरेली शेरमगगा
अवस्रीय योजना हेतु भूमि 100 करोड में बचक की गई । ₹00क0
25.4.16/7.6.16

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद भक्त विजय /पु-नवशा /गामांतरण बरी) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त अंकन में मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अप्रामाण्य है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र वसम सी.एस.सी.ओ.के.वाणी केन्द्र से खसरा की प्रामाणिक प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

128	0.6480
20	0.1730
350	0.3640
356	0.4930
159	0.1680
109	0.3000
63	0.2000
204	0.1060
4	0.8620
187	0.1430
190	0.0900
201	0.0240
208	0.0250
209	0.0250
107	0.2310
174	0.0750
378	0.1450
373	0.2910
374	0.0630
39	0.1580
40	1.0930
18	0.1650
34	0.0910
75	0.1930

कृपया उक्त तालिका की प्रतिलिपि (भूखंड (गाँव) के बाद प्रस्ताव/विकल्प/भू-मालका/जामातदार की) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अस्तित्वकारी हैं, उक्त विवरण अप्रत्याशित हैं, तबसिल कम्प्यूटर केन्द्र एच.सी.एस.सी/लोकसभा केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



22	0.0820
130	0.6710
122	0.4680
369	0.1140
127	0.0500
113	0.3360
386	0.1700
387	0.6830
44	0.2190
391	0.0950
126	0.0990
112	0.2480
403	0.1620
151	0.2530
129	0.3670
38	0.1400
41	0.1240
124	0.2830
133	1.3320
116	1.3140
84	0.7970
355	0.3370
235	0.0840
168	0.1640

कृपया उत्तर खसरो की प्रसिद्धि (शुद्ध (गटा) के नाम प्रस्त विवरण/शुद्धता/प्रमाणित बारी) हेतु खसरा संख्या पर विस्तृत करें

Disclaimer: उत्तर ऑफिस मात्र अखिलेश्वर है, उत्तर विवरण अखिलेश्वर है, जसरील कम्प्यूटर केन्द्र एका सं. शा. सी.टी.ओ.केन्द्र केन्द्र से उत्तर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

149	0.2140
45	0.2170
260.	0.1140
199	0.0040
202	0.0480
98	0.7780
207	0.1570
9	0.0360
10	0.0350
13	0.1090
241	0.0900
322नि	0.0800
340	1.2720
402नि	0.8540
119	0.1030
132	0.8810
50	1.2760
82	0.0510
255	0.0510
256	0.1010
258.	0.1770
259	0.1010
261	0.0380
262नि	0.0300

कृपया उक्त खसरे की गतिशीलता (श्रवण्ड (गिट) के बाद गुप्त /विश्व /भू-चर्या /समाचार बर्ती) हेतु खसरा संख्या पर विस्तार करें

Disclaimer: उक्त प्रकंडे मान अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अपुन है, तसवीर कान्युट केन्द्र एन सी. एन सी/लोकवाणी केन्द्र से उदरुण की गुणित प्रति प्राप्ता की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Ujhil, Lucknow.



263१	0.0060
95	0.3130
136	0.5600
205	0.1980
382	0.5760
163	1.4110
166	0.1380
188	0.0950
237	0.0250
243	0.0810
351	0.3100
106	0.3780
160	0.6110
394	0.9370
344	0.2120
349	0.0530
101	0.2000
165	0.5680
117	0.4770
421	0.0890
422	0.0250
47	0.1210
74	0.2170
169	0.2440

कृपया उत्तर खसरे की प्रसिद्धि (भूखंड (गांठ) के वाट भूमा / विकल्प भू-मापन/ मापन/ कमी) हेतु खसरा संख्या पर विचार करें

Disclaimer: उत्तर भौतिक मान अंशानुसार है, उत्तर विवरण अंशानुसार है, सर्वोच्च मान/दूरी केन्द्र खसरे की धरती/सर्वोच्च केन्द्र से उत्तर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unil, Lucknow.

218	0.4130
15	0.1940
16	0.1940
164	0.6570
214	0.3410
366	0.1520
85	0.0980
86	0.2150
100	0.3840
418नि	0.2810
23	0.0820
161	0.5100
162	1.0960
420नि	0.4000
423नि	0.0400
61	0.3550
376	0.3850
120	0.5770
42	1.2310
368	0.0570
377	0.0250
184	0.1260
185	0.1260
381	0.4050

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (प्लूजंड (गाटा) के बाद प्रस्त विवरण /पु-नक्शा/प्रमाणित नक्शे) हेतु खसरा संख्या पर विवरण करें

Disclaimer: उक्त ऑफिस मान अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण आधार है, तदर्थीय नक़्शेपर केन्द्र उक्त सी. एफ. सी.एल.आर.आर.सी. केन्द्र में उक्त की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

87	0.3820
3	0.3400
385	0.2310
393	0.3920
12	0.0270
246	0.1430
140	0.2280
183	0.2380
401	0.4920
25	0.2970
36	0.2690
14	0.1090
78	0.0460
78	0.0470
375	0.1140
6	0.0360
244	0.2670
73	0.0500
175	0.2450
217	0.1670
342	0.5190
216.	0.8740
343	0.7900
238	0.0250

सूचना तक खारि की प्रविष्टि (प्रारंभ (गति) के बाद प्रारंभ / विवरण / प्र-नक्शा / निर्धारण वाली) है। खारि संज्ञा पर लिंक करें

Disclaimer: जहाँ प्रारंभ मात्र प्रारंभिकार्थ है, जहाँ विवरण अनुभव है, तबही कार्यप्रारंभ केन्द्र प्रारंभ ही, प्रारंभ की प्रविष्टि प्रविष्टि प्रारंभ की संख्या है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



363	0.7140
365	0.2780
364	0.2590
353	0.1640
240	0.1540
234	0.3750
216	0.0380
225	0.7030
253मि	0.6250
144	0.1010
150₹	0.1390
339	0.9910
250	0.0630
248 मि.	0.8870
384	0.5840
384.	0.2940

योग

223

76.9470



कृपया उक्त खसरे की प्रतिलिपि (यूज्ड (गाटा) के बाद प्राप्त / विक्रय / भू-नक्शा / सामाज्य बली) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी का पता केन्द्र स्वयं सी.एन.ए.सी./लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit Lucknow.



BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डोहरिया परगना : (बोली) तहसील : बोली जगदल : बोली फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 खाता संख्या : 00120

खतियार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अवशेष	टिप्पणी
-------------	-----------------	-------	---------

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, ताले, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।

सेक्टर मार्ग /

48	0.2530		
157	0.2450		
398	0.2110		

योग 3 0.7090

कृपया उक्त खसरे की प्रमाणित (गुजद (गारु) के बाद प्राप्त / विक्रय / भू-व्यवस्था / नामांतरण बर्ती) हेतु खसरा संख्या पर निलोक करें

Disclaimer: उक्त प्रति में त्रुटि एवं अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कार्यालय केन्द्र लखनऊ, एक नॉन-कॉम्प्यूटरी केन्द्र से उत्पन्न की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





BHULEKH
Uttar Pradesh



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डोहरिया परगना : (बरेली) तहसील : बरेली जन्मपद : बरेली फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 खाता संख्या : 00117

खतिदर का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अवस्था	टिप्पणी
-------------	-----------------	--------	---------

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हैं।

नाली / /	2	0.0480		
	31	0.0590		
	59	0.0370		
	65	0.0420		
	89	0.1030		
	103	0.0570		
	131	0.0730		
	170	0.0070		
	179	0.0290		
	181	0.0110		
	191	0.0260		
	198	0.0150		
	417	0.0400		
योग	13	0.5470		

नूपयः उक्त खसरे की प्रस्थिति (भाण्ड (गाटा) के बाद ग्राम/विक्रय/पु-नकसा/निर्मातरण बर्ती) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त ऑफर के मात अकलौकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तबसेला काणपटा केन्द्र एका सी.एन.सी.एल/लोकवार्णी केन्द्र से उद्योग की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



137	0.1260
154	0.0310
167	0.0460
182	0.0270
186	0.0240
192	0.0260
197	0.0230
210	0.0290
219	0.0350
239	0.0350
301	0.0860
345	0.0820
389	0.0290
405	0.1010
408	0.0560
427	0.0600
444	0.0620
458	0.0510
308/470	0.0190
34	1.9160

योग

कंपन्या उक्त खसरे की प्रसिद्धि (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रन्थ / विक्रय / मू-नकशा / नामांतरण कर्ता) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अंशलोकनार्थ हैं, उक्त निबन्धन अपातन है, तस्मील कन्-सुपर केन्द्र एतल सी.एस.सी.केन्द्र से खसरा की प्रामाणिक प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



BHULEKH
Uttar Pradesh



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डोहरिया पराना : (बोली) तहसील : बोली जनपद : बोली फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 खाता संख्या : 00116

खातेदार का नाम / मिला परी संरक्षक का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या

क्षेत्रफल
(हे.)

आदेश

टिप्पणी

श्रेणी : G-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अनुसूचित उपयोगों के काम में लायी जाती हैं।

चक्रोड /				
1	0.0970			
5	0.0250			
17	0.0840			
21	0.0430			
28	0.0740			
32	0.0890			
33	0.0560			
43	0.0570			
66	0.1580			
69	0.0550			
77	0.0240			
93	0.0450			
114	0.0330			
104	0.0910			
125	0.0370			

कृपया उक्त खसरे की प्रतियोगिता (भूखंड (गाटा) के बाद प्रस्त / विक्रय / भू-न्याय / नामांतरण कर्त) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आंकड़े मान अनुसूचितकर्तार्य हैं, उक्त विवरण अद्यतन हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र खसरा सी. एस. सी./लोकवर्गी केन्द्र से खतरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



	137	0.1260	
	154	0.0310	
	167	0.0460	
	182	0.0270	
	186	0.0240	
	192	0.0260	
	197	0.0230	
	210	0.0290	
	219	0.0350	
	239	0.0350	
	301	0.0860	
	345	0.0820	
	389	0.0290	
	405	0.1010	
	408	0.0560	
	427	0.0600	
	444	0.0620	
	458	0.0510	
	308/470	0.0190	
योग	34	1.9160	

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (भूखंड (गाटा) के बाद प्रस्त/विक्रय/पू-नक्शा/नामांतरण बर्ती) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तदसहित कम्प्यूटर केन्द्र (एम सी. एम. सी/सो/क्यापी केन्द्र) से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





BHULEKH
Uttar Pradesh



खता विकरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डोहरिया	परगना : (बरेली)	तहसील : बरेली	जनपद : बरेली	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	खता संख्या : 00117
खतेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी		

श्रेणी : 6-2 / अतिरिक्त भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकथित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।

नाली /	2	0.0480		
	31	0.0590		
	59	0.0370		
	65	0.0420		
	89	0.1030		
	103	0.0570		
	131	0.0730		
	170	0.0070		
	179	0.0290		
	181	0.0110		
	191	0.0260		
	198	0.0150		
	417	0.0400		
योग	13	0.5470		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के चार भ्रस्त/विकृत/भ्र-नक्शा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर विस्तार करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े ग्राहक अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कार्यालय केन्द्र पृथग मी. एस. सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





BHULEKH
Uttar Pradesh



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : डोहरिया परगना : (केली) तहसील : केली जनपद : केली फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 खाता संख्या : 00120

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
-------------	-----------------	------	---------

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषिक उपयोग के काम में लानी जाती हो।

सेक्टर मार्ग /	48	0.2530	
	157	0.2450	
	398	0.2110	
योग	3	0.7090	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त/विक्रय/भू-नब्रसा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त अँकड़े मात्र अवलोकनार्थक हैं, उक्त विवरण अद्यतन हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एचएम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से स्वरूप की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

